बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04 / ख.वि.अधि.–01 / 12 – 7066 खाद्य, पटना / दिनांक – 7/11/2012

प्रेषक,

अशोक कु0 सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत धान / चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना एवं दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में ।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के लिए **30 लाख मे0 टन धान** की अधिप्राप्ति (न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः आवश्यक है कि पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाय ताकि लक्ष्य तो प्राप्त हो ही, साथ ही **यह सुनिश्चित हो कि क्रय किसानों से हो, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं ।** वास्तव में यह लक्ष्य प्राप्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है । अतः राज्य सरकार ने **अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता** देने का निर्णय लिया है । खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य धान साधारण–1250 / – रू0 एवं धान ग्रेड "ए"–1280 / – रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । **धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 15.11.12 से 15.04.13 तक तथा सी0एम0आर0 का कार्यक्रम दिनांक 15.11.12 से 31.10.13 तक प्रभावी रहेगा ।**

2. **अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें**

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।
- किसानों से धान क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्स के माध्यम से की जानी है ।
- वैसे पंचायत जहां के पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं हैं वैसे पंचायतों के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से धान क्रय करेगा । इस प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य निगम प्रत्येक प्रखंड में आवश्यकतानुसार दो क्रय केन्द्र स्थापित करेगा ।
- किसानों को पूरे राज्य में एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रय के तुरंत बाद भुगतान किया जायेगा । इस चेक से बैंक में तुरत भुगतान प्राप्त होगा ।
- पूरे राज्य में क्रय किये गये धान की मिलिंग की व्यवस्था बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से की जायेगी । पैक्स किसानों से खरीदे गए धान को राज्य खाद्य निगम को प्राप्त करायेगा ।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से **दिनांक 15.11.12 के पूर्व** कर ली जाय ।

3. लक्ष्य का निर्धारण

इस वर्ष राज्य में धान अधिप्राप्ति का **लक्ष्य 30.00 लाख मे0 टन** रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियों का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :–

		(मे0 टन में)
बिहार राज्य खाद्य निगम	–	8.0 लाख
पैक्स	–	22.0 लाख
कुल	–	**30.0 लाख**

सम्यक् विचारोपरान्त खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न है । आपसे यह भी अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखंडवार, पंचायतवार निर्धारित करें जिससे कि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके । उल्लेखनीय है कि धान अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक भी अधिप्राप्ति की जा सकती है ।

4. क्रय केन्द्रों का निर्धारण

खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत किसानों से धान का क्रय मुख्य रूप से पैक्सों द्वारा किया जायेगा तथा जिन पंचायतों में धान का क्रय पैक्सों द्वारा नहीं किया जायेगा वहां बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रखंड में स्थापित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा । मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थपित करने की जिम्मेवारी पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम की है । आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियां पूरी कर ली गई है :–

- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था ।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था ।
- Moisture Meter की व्यवस्था ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
- केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना ।
- विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
- किसानों को अविलंब भुगतान हेतु चेक बुक के साथ चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन ।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये धान को निर्धारित बेस गोदाम/मिल पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था
- प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था ।
- पैक्स द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची का संधारण ।
- पैक्स द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु अस्थायी सदस्यों का नामांकन ।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में उपरोक्त तैयारियों के साथ दिनांक **15.11.2012** से निर्धारित धान अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाय ।

5. भंडारण की व्यवस्था

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैप भंडारण की व्यवस्था की जा रही है । विभागीय पत्रांक 6587 दिनांक 11.10.12 द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार जिले में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाऊन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी, के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जाय । तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जाय । कृपया सुनिश्चित कर लें कि दिनांक **15.11.2012 के पूर्व** चिन्हित भंडार स्थल पर निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हो :–

- निर्धरित माप दंड के अनुरूप डनेज मटेरियल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन / तिरपाल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी
- घेरा बन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो
- कैंप कार्यालय
- लाईटिंग की व्यवस्था
- अग्नि शामक यंत्र
- सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कर्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
- बेस गोदाम से मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिल एवं राज्य से बाहर भेजने हेतु परिवहन की व्यवस्था ।

6. मिलिंग की व्यवस्था

जिले में/जिले से बाहर उपलब्ध राईस मिल (राज्य के पड़ोसी जिलों सहित) से सभी पैक्स/क्रय केन्द्रों को टैग कर लिया जाय । कृपया यह पुनः सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्ण कर लिया गया हो । इसके अलावा मिलिंग से सम्बन्धित निम्न कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाय :–

- राज्य खाद्य निगम द्वारा मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि सम्बन्धित मिलर को सुपूर्द किए जाने वाली धान की मात्रा/मिलिंग क्षमता के अनुपात में ही Bank Guarantee ली जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।
- प्रत्येक पैक्स को प्रतिदिन यह सूचना उपलब्ध होनी चाहिए कि क्रय किया गया धान किस मात्रा में सम्बद्ध मिल पर राज्य खाद्य निगम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के माध्यम से मिल को मुहैया कराना है एवं कितनी मात्रा में राज्य खाद्य निगम द्वारा चिन्हित केन्द्रों पर सूपूर्द करना है ।
- सभी सम्बद्ध पैक्स संचालक को उनके सम्बद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त राज्य खाद्य निगम पदाधिकारी का मोबाइल नं0 अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दिया जाय ।